

सेवा में,

माननीय अध्यक्ष जी नेशनल ग्रीन
ट्रिब्यूनल फरीब कोर्ट हाउस फार् निक्स
मार्ग नई दिल्ली- 110001

विषय :- नगर निगम गोरखपुर के द्वारा माता गंगा की
सहायक नदी राप्ती कूड़ा पड़ाव डम्पिंग एरिया
बनाने के सम्बन्ध में।

608/Lf/2023
05/03/23

ध्यानाकर्षण :-

माननीय अध्यक्ष जी, एन0जी0टी0, ओ0ए0 नं0-613/2022
दिनांक 23-09-2002 की धज्जियां उड़ाना बदस्तूर नगर निगम,
गोरखपुर। आपके दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है।

महोदय,

सविनय अनुरोध एवं निवेदन है कि उपरोक्त वर्जित स्थान
एवं जनसमुदाय आबादी के बीचो-बीच जैविक, अजैविक पालीथीन एवं
मृत जीव जन्तु का कूड़ा पड़ाव नगर निगम गोरखपुर के द्वारा कई वर्षों
से बरकरार है इस क्षेत्र के राप्ती नदी के एकला बंधा क्षेत्र में हवा में
जहरीला प्रदूषण एवं बीमारियां फैल रही हैं और इसके कारण संक्रमण
संचारी रोगों के वाहक जनसमुदाय को समुचित एवं चुनौती एक रूप में
खड़ी है। स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर स्वच्छता ही
सेवा है की धज्जियां उड़ायी जा रही है।

नगर निगम राप्ती नदी क्षेत्र कूड़ा पड़ाव डंपिंग एरिया
बनाया गया है और एकला बंधा नदी क्षेत्र के आस पास के लोग बताते

गोरखपुर राजघाट पुल से सटे 100 मीटर दूर 22
एकला बंधे की पक्की सड़क पर खुले में कचरा
गिराया जा रहा है पीपी किट फेका जा रही है
जिससे अन्य महामारी फैलने की आशंका बढ़ रही
है। निवेदन है जल्दी इसका कोई निदान निकाले।

Translate Tweet



